

आदेश

सरकारी कार्यों को सूचारु रूप से चलाने के लिए श्री दिनेश, वन दरोगा स्पेशल ड्यूटी, वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला की उसके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ड्यूटी थापली ब्लॉक, पंचकूला रेंज, मोरनी-पिंजौर मण्डल में लगाई जाती है, जिसके लिए कर्मचारी को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त श्री दिनेश, वन दरोगा की वन बन्दोबस्त अधिकारी, मोरनी-हिल्स, पंचकूला के कार्यालय में लगाई गई अतिरिक्त ड्यूटी से तुरन्त प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त श्री पवन कुमार, वन दरोगा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर को थापली ब्लॉक की ड्यूटी से भारमुक्त किया जाता है।

दिनांक : 30.04.2026


के० सी० मीणा, भा० व० से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/198-206

दिनांक:- 30-04-2026

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ सचिव/माननीय वन मन्त्री, हरियाणा को उनके डायरी नं० 1983 दिनांक 28.04.2026 के संदर्भ में।
2. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला।
3. वन बन्दोबस्त अधिकारी, मोरनी-हिल्स, पंचकूला।
4. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला/मोरनी-पिंजौर।
5. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, हरियाणा, पंचकूला।
6. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री पवन कुमार, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर।
8. श्री दिनेश, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला।


30/4/2026

अधीक्षक प्रशासन,

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।